being discussed in s Regional Workshops by associating educational institutions R & D establishments and industrial undertakings. Five of these Workshops have been held so far. A group has been set up to analyze these problems and formulate solutions to be placed before Government.

The present Government's policy in this regard will be governed by its commitment that the role of science and technology will be strengthened and steps taken to ensure that research and development get their due place in all important sectors of national endeavour.

बस्ती जनपद में कागज बनवाने का कारखाना स्थापित करना

1142 श्री **कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती जनपद में कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध है और इस जिले में पेपर मिल स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां किस समय तक सरकारी क्षेत्र में एक पेपर मिल की व्यवस्था करेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि बस्ती जनपद देश का एक पिछड़ा जिला है और उस जिले में मुश्किल से ही कोई ऐसा उद्योग है, जो उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को समाप्त कर सके;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना): (क) और (ख). हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 8200 मीट्रिक टन लिखाई एवं छपाई का कागज बनाने के लिये एक नया प्रस्ताव मिला है । बस्ती जिले में सरकारी क्षेत्र में एक कागज मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस क्षेत्र में केवल कृषीय छीजन पर आधारित छोटे-छोटे कागज मिलों की स्थापना हो सकती है ।

(ग) बस्ती जिले को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिये प्राप्त औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है । अक्तूबर, 1970 से लेकर 30 जून, 1978 की अवधि में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बस्ती जिले में स्थापित किये गये थे । औद्योगिक एककों को राजसहायता वितरित की गई है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की जांच

1143. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों की जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक द्वारा की जा रही है तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनकी 1979 से जांच की जा रही है तथा यद्यपि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो गये थे किन्तु उन्हें सेवा से नहीं हटाया गया; और

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के कुछ व्यक्तियों ने जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर रोजगार प्राप्त किया है तथा उन्हीं कर्मचारियों को विभागीय कदाचारों के मामले में दोषी पाया गया किन्तु उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम में दो मामले हैं जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है । ऐसे मामलों की संख्या दो है जिनके लिए विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऐसे मामलों की संख्या दो है जिनके लिए दिल्ली प्रशासन में जान्च के लिए विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किए गए हैं

इन मामलों में से केवल एक मामला दिल्ली प्रशासन के संबंध में 1979 के पूर्व की अवधि का है । अन्य तीन मामले 1979 में प्रारम्भ किए गए हैं ।

दिल्ली प्रशासन के संबंध में तीन मामले हैं जहां आरोप सिद्ध होने के बाद भी अधिकारियों को सेवा से नहीं निकाला गया है । इन मामलों में से दो में संबंधित अधिकारियों द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर वे निर्णयाधीन हैं । तीसरा मामला गृह मंत्रालय में विचाराधीन है ।

एक सहायक अध्यापक द्वारा जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नियुक्त होने की शिकायत के एक मामले की जांच दिल्ली नगर निगम का सतर्कता विभाग कर रहा है । एक स्कूल इंसपेक्टर के विरुद्ध अन्य शिकायत जिसमें स्थानान्तरण के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है उस पर दिल्ली नगर निगम जान्च कर रहा है और जांच की जा रही है कि क्या स्कूल इंस्पेक्टर जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था ।